राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–724/2025

नितिन कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही, राजस्थान।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड, जिला सिरोही।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	20.01.2025
आदेश की दिनांक	:	07.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से	: श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से	: सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत सियावा, आबूरोड में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण ग्राम पंचायत, किवरली, आबूरोड़ में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1994 की धारा 89(8)(ii) की पालना नहीं की गयी है, क्योंकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान से परामर्श नहीं लिया गया है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला परिषद की स्थायी बैठक आयोजित करके किया गया है, जो नियमानुसार किया गया है। अपीलार्थी यह

प्रकट करने में असमर्थ रहा है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान से सहमति नहीं ली गयी है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)